# कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (वाणिज्य और उदयोग मंत्रालय, भारत सरकार)

व्यापार सूचना (टी.आर\_संख्या\2021-22\0001)

11 अक्टूबर, 2021

## वर्ष 2021-22 के लिए टैरिफ दर कोटा (टी.आर.क्यू) के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी (रॉ/रिफाइन्ड) का निर्यात

विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार , नई दिल्ली (डी.जी.एफ.टी) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3 / 2015-20 दिनांक 20/04/2015 और अधिसूचना संख्या 20/2015-20 दिनांक 7/09/2015, के अनुसार टी.आर.क्यू के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी का निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन करने की अनुमति दी है:-

- यह कोटा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली द्वारा संचालित किया जाएगा।
- 2. यह समय-समय पर डी.जी.एफ.टी द्वारा अधिसूचित मात्रात्मक सीमा के अधीन होगा।
- 3. निर्यातकों को एपीडा, नई दिल्ली को वास्तविक निर्यात (अर्थात मात्रा, मूल्य, गंतव्य, विदेशी खरीदारों आदि का नाम और पता) के विवरण प्रस्त्त करने की आवश्यकता होगी।
- 4. मूल प्रमाण-पत्र, यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त डी.जी.एफ.टी, मुंबई द्वारा जारी किया जाएगा। सार्वजिनक सूचना सं 27/2015- 2020 दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के अनुसार यूरोपीय संघ के वितीय वर्ष 2021 (1 अक्टूबर, 2021 से 30 सितंबर, 2022) के लिए, यूरोपीय संघ को टैरिफ दर कोटा (टी.आर.क्यू) के अंतर्गत निर्यात के लिए 5841 मीट्रिक टन चीनी (रॉ/रिफाइन्ड) का अतिरिक्त कोटा प्रदान किया गया। तदनुसार, टी.आर.क्यू के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी (रॉ/रिफाइन्ड) के निर्यात के लिए 5841 मीट्रिक टन के आवंटन के लिए निर्यातकों से आवंदन आमंत्रित किए जाते हैं। टी.आर.क्यू के अंतर्गत यूरोपीय संघ में चीनी (रॉ/रिफाइन्ड) के निर्यात के लिए कोटा लागू करने / प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश हैं:
- (i) अनुबंध । में प्रारूप के अनुसार कोटा प्राप्त करने के लिए आवेदन एपीडा नई दिल्ली में (15 दिन) तक दिनांक 05.10.2021 अपराहन 3.00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे और उपस्थित

रहने हेतु इच्छुक आवेदनकर्ताओं की उपस्थिति में उसी दिन 3.30 बजे खोले जाएंगे। आवेदन पत्र, सीलबंद कवर में प्रस्तुत किए जाने हैं, जो कि "टी.आर.क्यू के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी के निर्यात के लिए कोटा प्राप्त करने के लिए आवेदन" के रूप में सबस्क्राइब किए जाए और श्रीमती विनीता सुधांशु, उप-महाप्रबंधक, एपीडा, एन.सी.यू.आई भवन, अगस्त क्रांति मार्ग हौज खास, नई दिल्ली -110016 को संबोधित हो।

- (ii) जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा और पंजीकरण-सह-सदस्यता-प्रमाण-पत्र (आर.सी.ए.सी) तीन कार्य दिवसों में जारी किया जाएगा।
- (iii) अनुबंध ॥ में उपलब्ध प्रारूप में एक बैंक गारंटी के साथ आवेदन किया जाएगा, जो भारतीय रुपए में कोटा मूल्य के 5% के बराबर राशि के लिए एफ.ओ.बी मूल्य पर लागू किया जाएगा। बैंक गारंटी 31 दिसंबर, 2022 तक मान्य होनी चाहिए।
- (iv) आवेदकों के लिए भुगतान की गई राशि के लिए प्रति मीट्रिक टन (जीएसटी को मिलाकर)

  11.80 रुपये के प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इस राशि का भुगतान नई

  दिल्ली में एपीडा के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर द्वारा किया जाएगा। कोटा प्राप्त

  करने के लिए सभी आवेदन आवश्यक राशि के डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के साथ होने चाहिए।
- (v) उपलब्ध कोटा मात्रा को प्रति मीट्रिक टन अमरीकी डालर में निर्यात के लिए उच्चतम एफओबी मूल्य के आधार पर आवेदकों को आवंटित किया जाएगा। आवेदक द्वारा उच्चतम एफओबी मूल्य के लिए लागू की गई मात्रा उपलब्ध कोटा से कम होने की स्थिति में, मूल्य कोटेशन के क्रम में अन्य आवेदकों को शेष राशि आवंटित की जाएगी। यदि एक से अधिक आवेदक एक ही एफओबी मूल्य जमा करते हैं, तो उपलब्ध कोटा का आवंटन समर्थक अनुपात के आधार पर किया जाएगा।
- (vi) एक बार आवेदन जमा होने के बाद और पंजीकरण-सह-आवंटन-प्रमाणपत्र (आर.सी.ए.सी) जारी होने के बाद निर्यातक / आयातक के नाम और एफ.ओ.बी मूल्य में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा।
- (vii) आर.सी.ए.सी को 30 सितंबर, 2022 तक मान्यता अविध के साथ जारी किया जाएगा। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि 30 सितंबर 2022 से पहले कस्टम क्लीयरेंस के लिए खेप यूरोपीय संघ पोर्ट पर पहुंच जाए।

(viii) निर्यात को अनुबंध III में प्रारूप के अनुसार जारी किए गए पूर्ण मात्रा के संबंध में विशिष्ट आर.सी.ए.सी की मान्यता की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रत्येक आर.सी.ए.सी के समक्ष वास्तविक निर्यात विवरण को प्रस्तुत करना होगा। आर.सी.ए.सी की पूर्ण मात्रा में असर्मथता की स्थिति में एपीडा द्वारा बैंक गारंटी के रुप में जुर्माना लगाया जा सकता है।

एस एस नैय्यर महाप्रबंधक

नई दिल्ली 11 अक्टूबर, 2021

# टीआरक्यू के अंतर्गत यूरोपीय संघ के लिए चीनी (रॉ/रिफाइन्ड) के निर्यात के लिए कोटा प्राप्त करने के लिए आवेदन

1.	आवेदक का नाम एवं पता	
2.	टेलीफोन/ई-मेल	
3.	एपीडा/एफ.आई.ई.ओ पंजीकरण संख्या	
4.	आवेदित मात्रा मीट्रिक टन में	
5.	एफ.ओ.बी मूल्य यू.एस.डी/मीट्रिक टन में	
6.	प्रदर्शन गारंटी राशि (आवेदित मात्रा के कुल	
	एफ.ओ.बी मूल्य का 5%)	
7.	प्रदर्शन गारंटी की तिथि एवं मान्यता	
	(आवेदन तिथि से एक वर्ष के लिए)	
8.	आयातक का नाम एवं पता	
9.	भारत में शिपमेंट पोर्ट	
10.	गंतव्य पोर्ट	

#### घोषणा:

- (i) हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे आवेदन में दी गई सभी जानकारी हमारे ज्ञान के अन्सार सही है।
- (ii) हम एपीडा द्वारा जारी आर.सी.ए.सी की वैधता की समयाविध में हमें आवंटित की गई मात्रा का सम्पूर्ण निर्यात करने का कार्य करेंगे।
- (iii) हम प्रमाणित करते हैं कि हम यूरोपीय संघ की चीनी के संबंध में गुणवत्ता की आवश्यकताओं से अवगत हैं, जिसे हमने टी.आर.क्यू के अंतर्गत यूरोपीय संघ को निर्यात करने की योजना बनाई है और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई निम्न स्टार का उत्पाद हमारे द्वारा निर्यात नहीं किया जायेगा।
- (iv) हम जानते हैं कि वैधता अविध की समयाविध के अन्दर आर.सी.ए.सी के अनुसार एपीडा द्वारा आवंटित कोटा मात्रा की शिपमेंट न होने की स्थिति में, एपीडा को हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन बैंक गारंटी को जब्त करने का अधिकार होगा।

### हस्ताक्षर -नाम और पदनाम-निर्यातक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Format for Performance Bank Guarantee (on Rs. 100/- Stamp Paper)

# Subject: Performance Bank Guarantee for Export of (Raw/Refined ) Sugar to E.U. under TRQ

WHEREAS the Agricultural and Processed Food Products Export Development Aut	hority
mentioned as APEDA hereinafter, through its Trade Notice datedhas ir	vited
applications from the exporters for obtaining quota for export of sugar to E.U. under	TRQ
as per the conditions prescribed in the said Trade Notice, which terms and conditions w	ve are
fully aware and in know of, and whereas M/s,the exporter, h	aving
their office at have undertaken to export MT of Raw Cane Sugar to	E.U.
under TRQ at the FOB India price of USDper MT.	

AND WHEREAS the exporter is required to furnish alongwith the application. Performance Bank Guarantee equivalent to 5% of the total FOB value of the quantity applied for in Indian Rupees in terms of the above said Trade Notice.

AND WHEREAS the exporter is required to export of Raw Cane Sugar within period of the validity given in the Registration-cum-Allocation Certificate (RCAC) to be issued by APEDA.

- 1. We (name and address of a Scheduled Indian Bank) hereinafter called "THE BANK" do hereby undertake and promise to pay the APEDA, New Delhi an amount of Rs. ......(Rupees.........) in the event of failure of the exporter (i) to fulfill any condition of the RCAC or (ii) to fulfill the obligation to export the quantity allocated to M/s. within the stipulated time or according to the prescribed terms and conditions whether the shipment is in part or full.

non-performance regarding export of Sugar to E.U. under TRQ, we shall be discharged from all liabilities under this guarantee further.
4. We, the
5. We,
6. We shall be relieved of and discharged from all liabilities under this guarantee only on the exporter having fulfilled all his obligations and exported the entire quantity of RCAC by the last day of shipment as prescribed by the APEDA in this particular case and submitted satisfactory proof of shipment and realization of export value by the Bank to the full satisfaction of the APEDA in this regard within the prescribed time whose decision in this connection shall be final and binding.
7. This guarantee will not be revoked by any change in the constitution of the Bank and/or the exporter.
Dated atday of20
In Presence of
(Signature of the Guarantor) Signature of Applicants
(to be signed by the Proprietor/Managing Director/
Authorized Signatory/Managing Partner of the unit
showing his Designation as such)

Date : Seal

## टी.आर.क्यू के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी (रॉ/रिफाइन्ड) के निर्यात के विवरण की प्रस्तुति का प्रारूप

नियातक का नाम :	
एपीडा/एफ.आई.ई.ओ पंजीकरण सं. :	
आर.सी.ए.सी संख्या और तिथि :	

मीट्रिक टन में मात्रा	कन्साइनी/ आयातक	भार (लेडिंग)बिल की तिथि	एफ.ओ.बी मूल्य	शिपमेंट पोर्ट	गंतव्य पोर्ट

प्राधिकारी हस्ताक्षरी:	
नाम एवं पद:	
तिथि:	
स्थान:	